न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 583 रान 2022

अनवान :–

1. जयकरण पुत्र मनफुल जाति जाट साकिन ढाणी मोधुवाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. श्योनारायण पुत्र मनफुल जाति जाट साकिन ढाणी मोधुवाली तहसील नोहर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री हवासिह पुनिया अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 22/7/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही गौजा चक 19 जेएसएन के खाता संख्या 60/162 की कुल 1.1760हैक व चक 5 बी बारानी के खाता संख्या 64/224 की कुल 1.1380हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम से दर्ज है तथा रोही गौजा चक 19 जेएसएन के खाता संख्या 152/60 की कुल 1.1010हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी के नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 दोनो एक ही परिवार के सदस्य है वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ने भूमि काश्त की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आपसी सहमति से परिवारिक समझौता किया जाकर वाद भूमि का आपस में बाहमी बटवारा /तबादला कर लिया है जो वाद की मद संख्या 4 के अनुसार है इसी अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है किन्तु राजस्व रिकार्ड में भूमि बाहमी बटवारा/ तबादला के अनुसार दर्ज नही है जिससे वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादी अपने बाहमी बटवारा/तबादला के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने का अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 के बाहमी बटवारा/तबादला के अनुसार भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 दोनो एक ही परिवार के सदस्य है जिन्होने भूमि काश्त की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आपसी सहमति से वाद भूमि के सम्बध में बाहमी बटवारा /तबादला किया गया था जो वाद की मद संख्या 4 में दर्ज है इसी अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य आपसी सहमति से हुए बाहमी बटवारा/तबादला के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 2 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Scanned with CamScanner

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 19 जेएसएन के खाता संख्या 60/162 की कुल 1.1760हैक व चक 5 बी बारानी के खाता संख्या 64/224 की कुल 1.1380हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम से दर्ज है तथा रोही मौजा चक 19 जेएसएन के खाता संख्या 152/60 की कुल 1.1010हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 दोनो एक ही परिवार के सदस्य है वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ने भूमि काश्त की सुविधा को ध्यान मे रखते हुए आपसी सहमति से परिवारिक समझौता किया जाकर वाद भूमि का आपस में बाहमी बटवारा /तबादला कर लिया है जो वाद की मद संख्या 4 के अनुसार है इसी अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है किन्तु राजस्व रिकार्ड मे भूमि बाहमी बटवारा/ तबादला के अनुसार दर्ज नही है जिससे वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादी अपने बाहमी बटवारा/तबादला के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करवाने का अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध मे कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध मे न्यायायिक दृष्टान्त आर.वी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतो के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 19 जेएसएन के खाता संख्या 60/162 की कुल 1.1760हैक व चक 5 बी बारानी के खाता संख्या 64/224 की कुल 1.1380हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम से दर्ज है तथा रोही मौजा चक 19 जेएसएन के खाता संख्या 152/60 की कुल 1.1010हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है।

वादी का कथन है कि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 एक ही परिवार के सदस्य है जो बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज है भूमि काश्त की सुविधा को ध्यान में रखते हुए वाद भूमि का आपसी सहमति से बाहमी बटवारा/तबादला किया गया था उसी अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है

अतः वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एव वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम चक 19 जेएसएन के खाता संख्या 152/60 के प0न0 333/395(57) के किला न0 16 की 0.253हैक भूमि वादी को एव वादी के नाम दर्ज रोही मौजा चक 5 बी बारानी के खाता संख्या 64/224 के प0न0 334/395(58) किला न0 11 मीन में 0.1020 हैक दक्षिणी पासा . 20/2 की 0.1260हैक व चक 19 जेएसएन के प0न0 333/395(57) के किला न0 22/3 मीन में 0.025हैक कुल 0.2530हैक भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है शेष भूमि यथावत रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनाक 22/07/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसारे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अन्वान :–

1. जयकरण पुत्र मनफुल जाति जाट साकिन ढाणी मोधुवाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. श्योनारायण पुत्र मनफुल जाति जाट साकिन ढाणी मोधुवाली तहसील नोहर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 583 सन 2022 निर्णय दिनांक– 22/07/2022

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य राबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि कि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम चक 19 जेएसएन के खाता संख्या 152/60 के प0न0 333/395(57) के किला न0 16 की 0.253हैक भूमि वादी को एव वादी के नाम दर्ज रोही मौजा चक 5 बी बारानी के खाता संख्या 64/224 के प0न0 334/395(58) किला न0 11 मीन मे 0.1020 हैक दक्षिणी पासा , 20/2 की 0.1260हैक व चक 19 जेएसएन के प0न0 333/395(57) के किला न0 22/3 मीन मे 0.025हैक कुल 0.2530हैक भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है शेष भूमि यथावत रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेंगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 22/07/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner